संख्या- **303**/2022/1268/41-2022-82(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक **26** मई, 2022

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0-कप्तानगंज स्थित झुंगीनाथ स्थल के पर्यटन विकास की योजना को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय पत्र सं0-797/मु0प0सं0यो0(73)/2021**,** दिनांक 10.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कतिपय अन्य स्थलों के साथ-साथ वि0स0क्षे0-कप्तानगंज स्थित झुंगीनाथ स्थल के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-195/2021/753/41-2021-82(बजट)/2021**,** दिनांक 06.03.2021 द्वारा धनराशि रू0 49.89 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 24.94 लाख अवमुक्त की गयी थी।

3- पर्यटन निदेशालय के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 10.05.2022 द्वारा प्रस्तावित प्रायोजना हेतु अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0**,** उ0 प्र0 जल निगम द्वारा जब स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया गया तब दूसरे पक्ष द्वारा भूमि पर सिविल दीवानी न्यायालय**,** जनपद बस्ती में वाद सं0-wric/19141/2014 cnr no. uphc 011804412014 दायर कर दिया गया। उक्त वाद विचाराधीन है। मा0 न्यायालय द्वारा अभी तक कोई निर्णय नही दिया गया है**,** जिस कारण प्रस्तावित स्थल पर कार्य बाधित है। उक्त के दृष्टिगत झुंगीनाथ स्थल के पर्यटन विकास की योजना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0-कप्तानगंज स्थित झुंगीनाथ स्थल के पर्यटन विकास की योजना को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

5- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना हेतु प्रथम किश्त रू0 में स्वीकृत धनराशि रू0 24.94 लाख (रू0 चौबीस लाख चौरानवे हजार मात्र) को कार्यदायी संस्था से राजकोष में ब्याज सहित नियमानुसार जमा कराकर सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, बस्ती।
4. प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
10. सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0 प्र0 जल निगम, यूनिट-34, बस्ती।
12. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल सिद्धार्थनगर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।